

2020/00001

न्यायालय लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरौही राज.

क्रमांक: कोर्ट/2019/291

दिनांक 30-1-2019

राजस्व प्रा.पत्र. संख्या 16.. /2020

प्रेषिति :- तहसीलदार,
सिरौही

तहसीलदार सिरौही द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 64 दिनांक 9-01-2020 के संलग्न पटवार हल्का तंवरी मौजा चडुआल की चालु जमाबंदी संवत 2072-2073 के नया खाता संख्या 169 के क.सं. 3 से 6 तक के प्राप्त प्रस्ताव मय राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी दस्तावेजात प्रतियों का गहनतापूर्वक अवलोकन करने के उपरान्त प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित होने से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित कर तहसीलदार सिरौही को पुनःमूल प्रस्ताव मय राजस्व रेकॉर्ड के भेजकर आदेश दिये जाते हैं कि प्रस्तावानुसार अपक्षित राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर इस न्यायालय को आवधिक रूपसे भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

लैण्ड रेकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)

उपलब्ध सिरौही कारा
सिरौही (राजस्थान)

श्रीमान तहसीलदार सा.
सिरोही

विषय: - चंद्रमाल के खाता सं. 169 में शुद्धि करवाने का बत

महोपयजी

अशोक पिचान्तगत निवेदन है कि शाम चंद्रमाल के खाता सं. 169 में खातेदार टीला, ठाकरी, प्रकाश, भरत के पुत्र हंसारी की जगह संबोध पत्नी दली हुआ है जो दायर सेक्विशन में गलत हुआ है अतः पुरानी जमाबंदी नकल से लगाने हैं अतः टीला का हंसारी, ठाकरी का हंसारी, प्रकाश का हंसारी, व भरत का हंसारी सभी शुद्धि किये जाने हेतु श्रीमान को वास्ते शुद्धि सादा आदेशार्थ पेश है।

सेलाग गभी जमाबंदी नकल
पुरानी जमाबंदी नकल

15/12/19
पठवरी

राजस्थान - सरकार

पर्याय तहसीलदार (भ० अ०) सिरोही

क्रमांक 12030/2020/64

दिनांक 09-01-2020

श्रीमान तहसीलदार सा. के कार्यालय में महोदय, सिरोही को पत्रिका का निवेदन है कि पत्रकारी हलका तपरी की विपरीत कथुसा में जा चंद्रमाल की जमाबंदी सन् 2010-2013 की सेक्विशन जमाबंदी तपरी के सत्रय खाता सं. नपा 169 में रु. 306 तक में अंकित खातेदार का नाम: टीला, ठाकरी, प्रकाश व भरत के पिता हंसारी है जिनका सम्बन्ध पुत्र-पिता का है पणु जमाबंदी में गलती से पत्नी का सम्बन्ध दर्ज हुआ है। अतः इन सभी उपरोक्त खातेदारों के नाम के अंग्रे अंकित सम्बन्ध "पत्नी" के स्थान पर "पुत्र" अंकित करने की शुद्धि अपेक्षित है। अतः वास्ते उचित आदेशार्थ को सादर पेश है।

तहसीलदार (भ० अ०) सिरोही

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

महुआल

अंतिम चोसला आधार सम्बत :- 2070 - 2073 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2019) से
स्थायी

नाम :- तवरी

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

पते :- तवरी

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

जमा :- सिरोही

खाता संख्या नया :- 169

जमा :- सिरोही

खाता संख्या पुराना :- 169

काश्तकार का नाम:-

1. कछुआ पुत्र केसा हिस्सा- 1/12 जाति- भील सा. देह खातेदार
2. चेला पुत्र केसा हिस्सा- 1/12 जाति- भील सा. देह खातेदार
3. टीला पुत्रि हंसा हिस्सा- 1/60 जाति- भील सा. देह खातेदार
4. ठाकरी पुत्रि हंसा हिस्सा- 1/60 जाति- भील सा. देह खातेदार
5. प्रकाश पुत्रि हंसा हिस्सा- 1/60 जाति- भील सा. देह खातेदार
6. भरत पुत्रि हंसा हिस्सा- 1/60 जाति- भील सा. देह खातेदार
7. मु.शान्ती पुत्रि हंसा हिस्सा- 1/60 जाति- भील सा. देह खातेदार
8. मना पुत्र केसा हिस्सा- 1/12 जाति- भील सा. देह खातेदार
9. मीरा पुत्री रामा हिस्सा- 1/3 जाति- भील सा. देह खातेदार
10. रतना पुत्री रामा हिस्सा- 1/3 जाति- भील सा. देह खातेदार

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
120	0.6600	बारानी 3	0.6600	0.66		
कुल खसरे - 1	0.6600		0.6600	0.6600		

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 16-Dec-2019

136
18/12/19
कार्यालय (भू.अ.)
पटवारशुल्का तवरी

NIC

